मानव अधिकार : अर्थ, परिभाषाएँ और प्रकृति

प्रकृति के द्वारा मनुष्य को विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं, लेकिन इन शक्तियों का स्वयं अपने और समाज के हित में उचित रूप से प्रयोग करने के लिए कुछ बाहरी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। राज्य का सर्वोच्च लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, इस प्रकार राज्य के द्वारा व्यक्ति को ये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली इन बाहरी सुविधाओं का नाम ही 'अधिकार' है।

मानवाधिकार एक ऐसा दर्शन है जो मानव के कल्याण और आनन्द पर केन्द्रित है। इसमें नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य तथा भौतिक बहुलता दोनों सम्मिलित हैं। यह निर्धनता तथा निहित-स्वार्थों का शत्रु है क्योंकि ये विश्व-मानवता के विरुद्ध हैं। मनुष्य की सभी वस्तुओं का मापदण्ड है। वह भाग्य-निर्माता है। आध्यात्मिक सत्य की पूर्णता में मनुष्य ही एक आवश्यक तत्व है।' मानवाधिकार कट्टरता एवं अन्धविश्वासों की बेड़ियों में जकड़े हुए मन को मुक्ति प्रदान करता है और वैज्ञानिक खोज के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।

मानव-अधिकार वे अधिकार हैं जो हमारी प्रकृति या स्वभाव में निहित हैं। इनके अभाव में हम मानव के रूप में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रताएँ हमकों पूर्णरूप से विकसित होने के लिये अवसर प्रदान करती हैं। साथ ही इनके द्वारा मानवीय गुणों, प्रतिभाओं तथा चेतना का सदुपयोग किया जाता है। यह अधिकार मानवता पर आधारित है। मानवाधिकारों की सर्जना नहीं की जाती है वरन् इनकी स्थिति स्वाभाविक होती है।

अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं जिनके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। वस्तुतः अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व

Scanned with CamScanner

की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस कारण वर्तमान में प्रत्येक राज्य के द्वारा अधिकाधिक विस्तृत अधिकार प्रदान किए जाते हैं। मानवाधिकार वे न्यूनतम अधिकार है, जो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि वह मानव परिवार का सदस्य है। मानवाधिकारों की धारणा मानव गरिमा की धारणा से जुड़ी है। अतएव जो अधिकार मानव गरिमा को बनाये रखने के लिए आवश्यक हैं, उन्हें मानवाधिकार कहा जा सकता है। इस प्रकार मानवाधिकारों की धारणा आवश्यक रूप से न्यूनतम मानव आवश्यकताओं पर आधारित है। इनमें से कुछ शारीरिक जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए है और अन्य मानसिक जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए तात्विक हैं। यद्यपि मानवाधिकारों की संकल्पना उतनी ही पुरानी है, जितनी की प्राकृतिक विधि पर आधारित प्राकृतिक अधिकारों का प्राचीन सिद्धान्त तथापि 'मानवाधिकारों' पदों की उत्पत्ति द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय चार्टरों और अभिसमयों से हुई। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् व्यक्तियों की स्थिति में रूपान्तरण हुआ है जो कि समसामयिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण विकास है। राज्यों के अतिरिक्त, व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय विधि से व्युत्पन्न अधिकारों ओर कर्त्तव्यों से युक्त होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विषय हो गया है। जबकि कुछ नियम प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की स्थिति और कार्य-कलाप के विनियमन से सम्बन्धित हैं, जबकि अन्य अप्रत्यक्ष रूप से उसे प्रभावित करते हैं।

जैक्स के शब्दों में, "मानवीय पूर्णता ही मानवता का लक्ष्य होना चाहिए। जैसे यन्त्रवाद यन्त्रों की निपुणता को लक्ष्य बनाता है, उसी प्रकार व्यक्ति को कुशलता ही मानवाधिकार का लक्ष्य होना चाहिए।"

सुविख्यात मानवाधिकारी शिक्षक **मिल्टन** के शब्दों में, ' मैं उस शिक्षा को सामान्य एवं पूर्ण मानता हूँ जो मनुष्य को व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक कार्यों-युद्ध एवं शान्ति सम्बन्धी-दोनों को न्यायपूर्ण, कुशलतापूर्ण एवं भव्य ढंग से करने की योग्यता प्रदान करे।" दूसरे शब्दों में मानवाधिकार का लक्ष्य सन्तुलित एवं पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना है।

मानव की प्रसन्नता एवं खुशहाली के साथ ही मानव की पूर्णता सम्बन्धित है। प्रसन्नता एवं खुशहाली के बिना अच्छे मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः जैसा कि हमने पहले कहा है कि मानवाधिकार भौतिक बहुलता और मनुष्य की प्रसन्नता पर आधारित है और निर्धनता का शत्रु है। मानवाधिकार का लक्ष्य समूची मानवता का हित करना है। 'मानवता की सेवा' मानवता का धर्म है। 'शान्ति' इसका संकल्प है और युद्ध का घोर शत्रु है। यह धरती पर शान्ति एवं खुशहाली की स्थापना की आवश्यकता तथा सम्भावना पर बल देता है।

Scanned with CamScanner

मानव अधिकार का अर्थ एवं परिभाषाएँ
(Meaning & Definitions of Human Right)

मानव अधिकारों से तात्पर्य मानव के उन न्यूनतम अधिकारों से है, जो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि वह मानव परिवार का सदस्य है। मानव अधिकारों एवं मानव गरिमा की धारणा के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध है अर्थात् वे अधिकार जो मानव गरिमा को बनाये रखने के लिए आवश्यक हैं, उन्हें मानव अधिकार कहा जाता है। मानव अधिकारों का सम्बन्ध मानव की स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए स्थितियाँ उत्पन्न करने से होता हैं। मानव अधिकार ही समाज में ऐसा वातावरण उत्पन्न करते हैं जिसमें सभी व्यक्ति समानता के साथ निर्भीक रूप से मानव गरिमा के साथ जीवन कायम कर पाते हैं। मूलतः पश्चिम से आयातित मानवाधिकार शब्द की भी मूल संकल्पना कुछ ऐसी ही है, जिसमें मानव अधिकारों की धारणा को आवश्यक रूप से न्यूनतम मानव आवश्यकताओं पर आधारित माना है। मानवाधिकार शब्द की विश्व में कोई एक स्वीकृत परिभाषा नहीं मानी जा सकती है। यद्यपि यह संकल्पना उतनी ही पुरानी हैं जितनी कि प्राकृतिक विधि पर आधारित प्राकृतिक अधिकारों का प्राचीन सिद्धान्त तथापि 'मानव अधिकारों' की अवधारणा की नये रूप में उत्पत्ति द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय चार्टरों और अभिसमयों से हुई।

सर्वप्रथम, अमरीकन तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 16 जनवरी, 1941 में कांग्रेस को संबोधित अपने प्रसिद्ध संदेश में ''मानव अधिकार'' शब्द का प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने चार मूलभूत स्वतंत्रताओं पर आधारित विश्व की घोषणा की थी। इनको उन्होंने इस प्रकार सूचीबद्ध किया था—1. वाक् स्वतंत्र्य, 2. धर्म स्वातंत्र्य, 3. गरीबी से मुक्ति और 4. भय से स्वातंत्र्य इन चारों स्वातंत्र्य से देश के अनुक्रम में राष्ट्रपति ने घोषणा की, कि ''स्वातंत्र्य से हर जगह मानव अधिकारों की सर्वोच्चता अभिप्रेत हैं। हमारा समर्थन उन्ही को हैं, जो इन अधिकारों को पाने के लिए या बनाये रखने के लिए संघर्ष करते हैं।'' अटलांटिक चार्टर (1941) में पुनः मानव अधिकार एवं मूलभूत स्वतंत्रताओं का प्रयोग किया गया। इसके पश्चात् मानव अधिकारों का लिखित प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किया गया।

अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता अथवा सकारात्मक सुविधा प्रदान करना है जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके।

Scanned with CamScanner

इस प्रकार मानवाधिकारों की धारणा आवश्यक रूप से न्यूनतम मानव आवश्यकताओं पर आधारित है। इनमें से कुछ शारीरिक जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए है और अन्य मानसिक जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए तात्विक हैं। यद्यपि मानवाधिकारों की संकल्पना उतनी ही पुरानी है, जितनी की प्राकृतिक विधि पर आधारित प्राकृतिक अधिकारों का प्राचीन सिद्धान्त तथापि 'मानवाधिकारों' पदों की उत्पत्ति द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय चार्टरों और अभिसमयों से हुई। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् व्यक्तियों की स्थिति में रूपान्तरण हुआ है जो कि समसामयिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण विकास है। राज्यों के अतिरिक्त, व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय विधि से व्युत्पन्न अधिकारों ओर कर्त्तव्यों से युक्त होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विषय हो गया है। जबकि कुछ नियम प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की स्थिति और कार्य-कलाप के विनियमन से सम्बन्धित हैं, जबकि अन्य अप्रत्यक्ष रूप से उसे प्रभावित करते हैं।

प्रकृति के द्वारा मनुष्य को विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं, लेकिन इन शक्तियों का स्वयं अपने और समाज के हित में उचित रूप से प्रयोग करने के लिए कुछ बाहरी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। राज्य का सर्वोच्च लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, इस प्रकार राज्य के द्वारा व्यक्ति को ये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली इन बाहरी सुविधाओं का नाम ही 'अधिकार' है। यह अधिकार मानवता पर आधारित है। मानवाधिकारों की सर्जना नहीं की जाती है वरन् इनकी स्थिति स्वाभाविक होती है। अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं जिनके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। वस्तुतः अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस कारण वर्तमान में प्रत्येक राज्य के द्वारा अधिकाधिक विस्तृत अधिकार प्रदान किए जाते हैं। हम मानवाधिकार को वे अधिकार कह सकते हैं जो मानव को मानव होने के नाते मिलने चाहिए, वे अधिकार जो मानव में मानव होने के नाते अर्न्तनिहित हैं ये ऐसे अधिकार है जो एक मानव के व्यक्तित्व के विकास के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है।

परिभाषाएँ-

लॉस्की के अनुसार "अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है।"

Scanned with CamScanner

हंट के अनुसार "मानवाधिकार मानवीय विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति है जो सैद्धान्तिक अभिमूल्यों की आधार शिला है। जिससे मानव उन्नति के शिखर पर अग्रसर होता है।"

भारतीय विद्वान श्रीनिवास शास्त्री के अनुसार "अधिकार समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत वह व्यवस्था नियम अथवा रीति है जो नागरिक के सर्वोच्च नैतिक कल्याण में सहायक हो।"

एल.के.ओड के अनुसार-"मानववाद का दर्शन मनुष्य तथा उसके हित को सर्वोपरि मानता है। मानवाधिकार की रुचि न तो काल्पनिक ईश्वर में है और न अमूर्त शाश्वत चिन्तन में उसकी रुचि तथा चिन्तन का एकमात्र केन्द्र मनुष्य तथा उसकी स्थिति है। उसकी आशाएँ तथा आकांक्षाएं, उसके आदर्श, उसकी उपलब्धियाँ तथा दुर्बलताएं, चिन्तन की इसी श्रेणी में आती है। कुल मिलाकर रक्त-मांस के बने हुए इस सांसारिक मनुष्य के बारे में चिन्तन ही मानवाधिकार का विषय क्षेत्र है।"

जे. ई. एस. फॉसेट के अनुसार, "मानवाधिकार कभी-कभी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या प्राकृतिक अधिकारों के नाम से पुकारे जाते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनको किसी व्यवस्थापिका द्वारा छीना नहीं जा सकता है। प्राकृतिक अधिकार मनुष्य तथा नारी दोनों से सम्बन्धित हैं। साथ ही वे उनके स्वभाव के अनुकूल होते हैं।"

हैराल्ड लॉस्की के शब्दों में कहा जा सकता है कि "अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियाँ है जिनके बिना सामान्यता कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता।"

लेमन के अनुसार -"समग्र मानवाधिकार के कल्याण के लिये मानवाधिकार सेवा का दर्शन है। इसका विश्वास है कि मानव का कल्याण तर्क बुद्धि तथा लोकतन्त्र द्वारा सम्भव है।"

निकोलस हैन्स के शब्दों में , "शिक्षा समस्याओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण मानवाधिकार है, अर्थात् मानव प्रकृति एवं मानव हितों को विश्व की संकीर्ण एवं कट्टर धार्मिक व्याख्या द्वारा दबाया न जाए, बच्चे की प्रकृति ओर उसके विकासशील मन को स्कूल के अत्याचारी अनुशासन एवं कठोर शिक्षण विधियों में न दबा दिया जाए। मौलिक रूप से मानवाधिकार का अर्थ है-कट्टरता की बेड़ियों से विवेक की मुक्ति एवं वास्तविक तथ्यों की निरीक्षण प्रकृति और मानवता का आलोचनात्मक भध्ययन।"

Scanned with CamScanner

According of Macfarlane, "Human Rights are those moral rights which are owned to each man and women solely by resaon of being a human being."

प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक जीन जैक्स रूसो ने भी अपनी पुस्तक "**सोशल कांन्ट्रेक्ट**" में लिखा है कि "मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ हैं, परन्तु हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा हुआ हैं।" इन्होंने इसके माध्यम से समाज में अव्यवस्था, शोषण तथा असमानता के बंधनों से जकड़े हुए जनसाधारण की स्वतंत्र होने की और स्वाधीनता, स्वतंत्रता तथा समानता का उत्तम जीवन प्राप्त करने की आकांक्षा को व्यक्त किया था। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात व्यक्तियों की स्थिति में रूपान्तरण हुआ हैं जो कि समसामयिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण विकास हैं। राज्यों के अतिरिक्त, व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय विधि से व्युत्पन्न अधिकारों और कर्त्तव्यों से मुक्त होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विषय हो गया हैं, जबकि कतिपय नियम प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की स्थिति और कार्यकलाप के विनियमन से सम्बन्धित हैं। मानव अधिकार की परिभाषा से अधिक महत्त्वपूर्ण यह कि मानव अधिकारों की विशेषताओं के बारे में जाना जाए।

मानव अधिकारों की विशेषताएँ
(Characterstics of Human Rights)

मैक्फारलेन (Macfarlane) ने अपनी पुस्तक The theory and practice of Human Rights मानव अधिकारों की पाँच प्रमुख विशेषताएँ बतलाई हैं जो कि निम्नलिखित हैं—

1. **व्यावहारिकता**(Practicablity)—मानव अधिकारों की व्यावहारिकता से तात्पर्य है कि मानव अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं तथा उन्हें व्यावहारिक तभी माना जा सकता हैं, जबकि वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम इतना अवसर एवं सुविधाएं प्रदान करें, जिनमें वह अपना जीवनयापन कर सके। मानव अधिकार केवल कानून एवं नियमों तक सीमित न रहकर उन्हें व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए प्रयास किये जाना ही मानव अधिकारों की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है।

2. **सर्वोच्चता** (Paramount)—मानव अधिकारों को सर्वोच्च इसलिए माना जाता है, क्योंकि राज्य द्वारा जनहित के आधार पर इन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। विश्व के प्रत्येक देश में इन अधिकारों को संवैधानिक एवं कानूनी आधार पर संरक्षण प्रदान किया जाना अनिवार्य होता है।

Scanned with CamScanner

3. सार्वभौमिकता (Universality)—मैक्फारलेन के अनुसार, मानव अधिकारों को सार्वभौमिक इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकार सभी व्यक्तियों, सभी समयों पर तथा सभी स्थितियों में प्राप्त होते हैं। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अन्तर्गत भी कहा गया है कि मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात् वे अधिकार किसी एक विशेष राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति से प्रतिबद्ध नहीं होते हैं।

4. व्यक्तिगतता (Individualisity)—मानव अधिकारों की अवधारणा की व्युत्पत्ति मानव के स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में जन्म लेने से सम्बन्धित हैं। जिसके अन्तर्गत माना जाता है कि व्यक्ति के पास सोचने एवं समझने की पर्याप्त शक्ति होती हैं अर्थात् वह बौद्धिक प्राणी हैं। इस बौद्धिकता के कारण व्यक्ति स्वयं अपना भला, बुरा सोचने एवं नैतिक स्वतंत्रता के रूप में उसे अपने कार्यों के निर्धारण की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए।

5. क्रियान्वयन योग्य (Enforceable)—मानव अधिकारों से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से होता है जो कि वास्तविक रूप से क्रियान्वयन किये जाने योग्य होते हैं, अर्थात् ऐसे अधिकारों का कोई महत्व नहीं होता है। जिन्हें क्रियान्वयन करना सम्भव नहीं होता है। परन्तु मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय एवं स्थानीय मानव अधिकार संरक्षण एजेन्सियों द्वारा क्रियान्वयन किया जाना सम्भव होता है।

मानव अधिकारों की प्रकृति
(Nature of Human Rights)

मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं, जिनका राज्यों द्वारा आदर किया जाना अनिवार्य होता है। साथ ही ये अधिकार ऐसे मापदण्ड होते हैं, जिनके माध्यम से राज्य के कार्यों का मूल्यांकन किया जाना सम्भव हो पाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानव अधिकारों को उनकी प्रकृति के आधार पर दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है।

1. मानव अधिकारों के संरक्षण में राज्य का सकारात्मक रूप (Positive Role of State in Protection of Human Rights)—मानव अधिकारों के सकारात्मक रूप से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से हैं जिसके अन्तर्गत राज्य द्वारा अपने नागरिकों के लिए कुछ सुविधाऐं या स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए प्रयास करता है, अर्थात् राज्य अपने यहाँ इस प्रकार की दशाओं का निर्माण करेगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता एवं गरिमा के साथ जीवनयापन कर सके। उदाहरणस्वरूप विभिन्न

Scanned with CamScanner

सरकारों द्वारा गरीबों के खाने एव रहने की व्यवस्था करना, किसानों के लिए कर में छूट के प्रावधान करना, बालकों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, महिलाओं के लिए समानता एवं सम्पूर्ण विकास के अवसर प्रदान करना, गरीब एवं असहायों प्राणियों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना आदि।

2. मानव अधिकारों के संरक्षण में राज्य का नकारात्मक रूप (Negative Role of State in Protection of Human Rights)—मानव अधिकारों के नकारात्मक रूप से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से है, जिनके द्वारा राज्यों को कुछ करने से रोका जाता है। जिसके अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को कानूनों के उल्लंघन के बिना बन्दी नहीं बनाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को अकारण ही अपने विचार व्यक्त करने से नहीं रोका जा सकता है। व्यक्तियों को किसी भी धर्म एवं सम्प्रदाय के अनुसार आचरण करने से नहीं रोका जा सकता है आदि। इन नकारात्मक अधिकारों की सीमाऐं किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दशाओं के अनुसार अलग-अलग होती है।

मानवाधिकारों की उत्पत्ति

'मानव अधिकारों ' पद का प्रयोग सर्वप्रथम अमरीकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जनवरी 16, 1941 में कांग्रेस को संबोधित अपने प्रसिद्ध संदेश में किया था जिसमें उन्होंने चार मर्मभूत स्वतंत्रताओं पर आधारित विश्व की घोषणा की थी। इनको उन्होंने इस प्रकार सूचीबद्ध किया था-1. वाक् स्वातंत्र्य, 2. धर्म स्वातंत्र्य, 3. गरीबी से मुक्ति और, 4. भय से स्वातंत्र्य। चार स्वातंत्र्य संदेश के अनुक्रम में राष्ट्रपति ने घोषणा किया "स्वातंत्र्य से हर जगह मानव अधिकारों की सर्वोच्चता अभिप्रेत है। हमारा समर्थन उन्हीं को है, जो इन अधिकारों को पाने के लिए या बनाये रखने के लिये संघर्ष करते हैं।" 'मानव अधिकारों' पद का प्रयोग फिर अटलांटिक चार्टर में किया गया था। तदनुरूप मानव अधिकारों पद का लिखित प्रयोग संयुक्त राष्ट्र चार्टर में पाया जाता है, जिसको द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् सैनफ्रांसिस्को में 25 जून, 1945 को अंगीकृत किया गया था। उसी वर्ष में अक्टूबर माह में बहुसंख्या में हस्ताक्षरकत्ताओं ने इसका अनुसमर्थन कर दिया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की उद्देशिका में घोषणा की गयी कि अन्य बातों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य 'मूल मानव अधिकारों के प्रति निष्ठा को पुन: अभिपुष्ट करना ...' होगा। तदुपरांत संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के 'प्रयोजन' "... मूलवंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर विभेद किये बिना मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की अभिवृद्धि करने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग ..... प्राप्त करना" होंगे।

Scanned with CamScanner

स्टार्क का मत है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर आबद्धकर लिखत नहीं था और न उसमें आदर्श का कथन किया गया है, इसे बाद में अभिकरणों और अंगों का विकसित किया जाना है।

1. मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा- अनेक मानव अधिकारों के निर्माण करने में पहला ठोस कदम संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसम्बर 1948 में 'मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा' को अंगीकृत करके किया। आशय यह था कि इसका अुनसरण 'अन्तर्राष्ट्रीय बिल ऑफ राइट्स' द्वारा होगा, जो कि प्रसंविदा करने वाले पक्षकारों पर वैध रूप से आबद्धकर होगा।

2. 1966 की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाएँ- कुछ भी हो, सार्वभौम घोषणा केवल आदर्शों के कथन के रूप में क्रियाशील रही, जिसका स्वरूप वैध रूप से आबद्धकर प्रसंविदा के रूप में नहीं था और इसके प्रवर्तन के लिए कोई तंत्र नहीं था। इस कमी को दूर करने का प्रयास संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसम्बर, 1966 में मानव अधिकारों के पालन के लिये दो प्रसंविदाएँ अंगीकृत करके किया-

(क) सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर संविदा,

(ख) आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर प्रसंविदा,

यद्यपि पूर्ववर्ती ने व्यक्ति के विधिक रूप सं प्रवर्तनीय अधिकारों को निर्मित किया, तथापि पश्चातवर्ती राज्यों को उन्हें विधान द्वारा कार्यान्वित करने के लिए संबोधित थी।

दोनों प्रसंविदाएँ दिसम्बर 1976 में प्रवृत्त हुईं, जब अपेक्षित संख्या में 35 सदस्य राज्यों ने उनका अनुसमर्थन कर दिया। 1981 के अंत तक 69 राज्यों ने उनका अनुसमर्थन कर दिया। ये प्रसंविदाएँ अनुसमर्थन करने वाले राज्यों पर वैध रूप से आबद्धकर हैं। इस बात पर अति खेद है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो कि मानव अधिकारों पर प्रसंविदाएं तैयार करने का आदर्श था तथा जिसमें मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीयकरण में अत्यधिक रुचि लिया था, अभी तक अंतराष्ट्रीय प्रसंविदाओं, 1966 का अनुसमर्थन नहीं किया है।

ऐसे अनुसमर्थन का प्रभाव यह है कि अनुसमर्थन करने वाला राज्य प्रसंविदा को कार्यान्वित करने के लिए विद्यायी उपाय अपनायें जिसमें प्रसंविदा में वर्णित अधिकारों को प्रवर्तित किया जाये, यद्यपि कि स्वयं प्रसंविदा अनुसमर्थन करने वाले की घरेलू विधि या भाग नहीं है, तथाति सुसंगत विधान में समाविष्ट अधिकार घरेलू न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।

Scanned with CamScanner

मानव अधिकारों का उद्गम्

प्रकृति में सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं। अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिये इस निर्भरता के कारण ही संसार के सभी जीवों की प्रजातियों की संख्या में स्थिरता है। एक-दूसरे पर निर्भर होते हुए भी सभी अपने-अपने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता सभी का मूलभूत अधिकार है। मनुष्य भी अपने अस्तित्व को स्वतंत्र रखने के साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास भी चाहता है। इसके लिये मनुष्य को कुछ ऐसी परिस्थितियों की आवश्यकता थी जिनके बिना ना तो उसका स्वतंत्र अस्तित्व रह सकता था और न ही वह पूर्ण विकास कर सकता था। जब तक मनुष्य अपने को प्रकृति का एक अंग समझता रहा, पृथ्वी पर एक संतुलन बना रहा, लेकिन अपनी बुद्धि के बल पर वह अपने को प्रकृति का स्वामी समझने लगा। धीरे-धीरे मनुष्य का विकास होता चला गया। उसने अपनी बुद्धि के बल से अपनी सुख-सुविधा के साधन जुटा लिए और स्वयं को पूरी तरह से भौतिकवादी युग में धकेल दिया। जहाँ हर व्यक्ति अनुपलब्ध वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। इसी ने राजाओं में अपने राज्यों के विस्तार की अभिलाषा को जन्म दिया और इसी के साथ युद्ध की विभीषिका की शुरुआत हुई। अपने अहम् की रक्षा के नाम पर और विस्तारवादी नीति को आधार बनाकर ही विश्व के अधिकांश युद्ध हुए। मनुष्य जानवर से भी अधिक हिंसक प्रवृत्ति का हो गया।

प्राचीन समय में शक्तिशाली, कमजोर को गुलाम बना लेते थे और उसके शरीर पर पूर्ण अधिकार कर लेते थे। युद्ध के बाद यही स्थिति राजाओं एवं सरदारों के साथ होती थी। साधारण एवं कमजोर वर्ग पर अत्याचार करना यहाँ तक कि उनकी हत्या करना भी साधारण बात हो गयी थी। हिटलर के प्रताड़ना शिविर, युद्ध बंदियों की दयनीय दशाएँ, दास-प्रथा आदि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि मनुष्य ने ही मनुष्य पर निर्मम अत्याचार किये।

हिंसा की प्रवृत्ति विश्व में सदियों से चली आ रही है, पर कुछ घटनाएँ ऐसी हैं जिन्होंने विश्व का इतिहास ही बदल दिया। सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में हुए रक्तपात को देखा तो यह उन्हें असहनीय हो गया और वे तब ही से अहिंसावादी बौद्ध बन गये। द्वितीय युद्ध की विभीषिका ने भी विश्व को सोचने पर विवश कर दिया। इसी समय अमेरिका का जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर बमबारी करना तथा जर्मनी द्वारा नजरबंद शिविरों में युद्धबंदियों की निर्मम हत्या इसी समय की घटनाएँ हैं।

Scanned with CamScanner

मानव अधिकार का विकास

इस परिप्रेक्ष्य में विश्व सोचने को विवश हो गया और उसी सोच का फल है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार जैसी अवधारणा अस्तित्व में आई। यदि मनुष्य, मनुष्य का नैसर्गिक रूप से विकास होने देता तो शायद यह अवधारणा अस्तित्व में ही नहीं आती। परन्तु साम्राज्यवादी लिप्सा ने इन अधिकारों की माँग को और बढ़ा दिया।

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग होने के साथ-साथ मानवाधिकारों का हनन भी हुआ। मानवाधिकारों के इस हनन को रोकने हेतु सर्वप्रथम "शांति स्थापना लीग" का गठन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की स्थापना का प्रथम दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र चार्टर को माना जाता है। लेकिन मूलाधिकारों के रूप में इसका श्रेय 1215 के मैग्नाकार्टा को जाता है।

इसी क्रम में 1920 में राष्ट्र संघ का गठन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना एवं विवादों को हल करने के लिये बनी इस संस्था की मौजूदगी के बावजूद भी द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया। इसमें गम्भीर रूप से मानवाधिकारों का हनन हुआ। छः एवं आठ अगस्त, 1945 को क्रमशः हीरोशिमा एवं नांगासाकी, जापान के इन दो शहरों पर परमाणु बम गिराकर दो लाख से अधिक लोगों को कुछ ही मिनटों में मौत के घाट उतार दिया गया।

1945 में सेनफ्रांसिस्को सम्मेलन में भी मानवाधिकारों की रक्षा की बात उठाई गयी, इसमें कहा गया कि विश्व के सभी देशों के नागरिकों को समान अधिकार, सम्मान और गरिमा प्रदान की जानी चाहिए। इन्हीं सब कोशिशों के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना एवं मानवाधिकारों की रक्षा हेतु 24 अक्टूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ नाम की संस्था की स्थापना हुई। 1946 में एलोनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानवाधिकार आयोग गठित किया गया। 10 दिसम्बर, 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गयी। इस घोषणा के समय रूजवेल्ट ने कहा था—

"विश्व के अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं, जो अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित हैं, जिन्हें विश्व व्यक्ति के परम्परागत अधिकारों के रूप में स्वीकार कर चुका है, और इनके बिना कोई भी सम्मान एवं स्वतंत्रता के साथ नहीं रह सकता।" सन् 1950 में महासभा में एक प्रस्ताव पारित कर 10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। 10 दिसम्बर का दिवस हथियारों की बर्बरता के विरुद्ध शांति एवं सौहार्द्र की भावना का प्रतीक था।

Scanned with CamScanner

मानव अधिकारों की आवश्यकता

प्रत्येक व्यक्ति आनन्दपूर्वक जीवन-यापन कर सके इसके लिये उसको स्वतंत्रता एवं कुछ अधिकारों की आवश्यकता है। मनुष्य को कुछ अधिकार तो प्रकृति ने दे रखे हैं एवं कुछ अधिकार देश के संविधान से मिले हुए हैं, जिनका उपयोग कर मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है, मानव अधिकार कहलाते हैं। इन अधिकारों को प्राप्त करने में उसकी राष्ट्रीयता, लिंग, व्यवसाय, रंग, जाति, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, अवस्था एवं आयु और परिस्थिति से कोई अन्तर नहीं आता। मानव अधिकारों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर ही पाता है, उसकी सामाजिक, आत्मिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है।

मानव अधिकार बहुत आवश्यक हैं। ये अधिकार मानव की गरिमा को बढ़ाकर समाज में सम्पन्नता एवं सौहार्द्र बढ़ाते हैं। मानव अधिकारों की प्राप्ति से भाईचारे एवं साम्प्रदायिक बंधुत्व को बल मिलता है। मानव अधिकार जीवन में आने वाली अनेक बाधाओं को दूर करके शांति एवं भाईचारे को बढ़ाता है, उन्नति एवं विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। "मानव अधिकार मस्तिष्क की अभिवृत्ति है जो मानव और उसकी शक्तियों, लौकिक मामलों, लौकिक आकांक्षाओं तथा उसकी भलाई को प्राथमिक महत्त्व प्रदान करता है।"

मानवाधिकार के मूल तत्व

(i) प्रत्येक मानव प्राणी इन अधिकारों के लिए हकदार है, क्योंकि यह अधिकार उसे मानव के रूप में जन्म लेने के आधार पर मिले हैं।

(ii) प्रत्येक मानव के साथ उसकी गरिमा जुड़ी हुई है। वह चाहे अभियुक्त हो या युद्धबंदी, चाहे वह बालक हो या दलित हो, हर मानव की गरिमा की रक्षा आवश्यक है।

(iii) मानव अभिव्यक्ति का विकास इन मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ है, जैसे-शिक्षा का अधिकार, अच्छी कार्य दशा का अधिकार आदि मिलने पर ही व्यक्ति विकास कर सकता है।

(iv) मानव की प्रसन्नता के लिये इन मानवाधिकारों की रक्षा की जानी जरूरी है। प्रत्येक मानव के सुख की ये पूर्व शर्तें हैं।

(v) मानवाधिकार प्रत्येक मानव को बिना किसी भेदभाव के प्राप्य हैं, चाहे वह किसी भी प्रजाति, लिंग, भाषा, रंग व धर्म से सम्बन्ध रखता हो।

Scanned with CamScanner

मानवाधिकारों के प्रकार

मानवाधिकारों के मूल तत्व को समझने के पश्चात् मानवाधिकारों को मुख्य रूप से पांच भागों में बाँटा जा सकता है-

(1) सिविल अधिकार-सिविल और राजनीतिक अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय करार (International ./covenant on Civil & Political Rights) के अनुसार प्रमुख सिविल अधिकार निम्न प्रकार से है-

(i) जीवन का अधिकार
(ii) यातना के विरुद्ध अधिकार
(iii) दासता के विरुद्ध अधिकार
(iv) स्वतंत्रता और सुरक्षा के विरुद्ध अधिकार
(v) कानून के समक्ष समानता का अधिकार
(vi) विचार, अंतरात्मा व धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

(2) राजनीतिक अधिकार-सिविल और राजनीतिक अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय करार के अनुसार प्रमुख राजनीतिक अधिकार निम्न प्रकार से है-

(i) विचार प्रकट करने का अधिकार
(ii) शांतिपूर्ण समूह बनाने का अधिकार
(iii) संगठन बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार
(iv) मताधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार
(v) कानून के समक्ष समानता का अधिकार

(3) आर्थिक अधिकार-आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय करार के अनुसार प्रमुख आर्थिक अधिकार निम्न प्रकार से है-

(i) व्यवसाय चुनने का अधिकार
(ii) कार्य करने का अधिकार
(iii) न्यायूपर्ण कार्यदशा का अधिकार
(iv) श्रमिक संघ बनाने का अधिकार

(4) सामाजिक अधिकार-आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय करार के अनुसार प्रमुख सामाजिक अधिकार निम्न प्रकार से है-

(i) सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमे का अधिकार
(ii) उचित जीवन स्तर का अधिकार
(iii) शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार
(iv) शिक्षा का अधिकार

Scanned with CamScanner

(5) सांस्कृतिक अधिकार-आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक आधकारा के अन्तर्राष्ट्रीय करार के अनुसार प्रमुख सांस्कृतिक अधिकार निम्न प्रकार से है-

(i) सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार

(ii) वैज्ञानिक प्रगति का लाभ लेने का अधिकार

(iii) वैज्ञानिक कलात्मक व साहित्यिक रचनाकार को उसका लाभ लेने का अधिकार

मानवाधिकारों की नई शृंखला-

मानवीय प्रगति और उत्तरोत्तर विकास के साथ मानवाधिकारों के क्षेत्र का रूप भी बड़ा व्यापक होता जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों मानवाधिकार संगठनों और न्यायपालिका के निर्णयों ने मानवाधिकारों की विस्तृत व्याख्या की है। पिछले पृष्ठों में वर्णित अधिकारों के अलावा महिलाओं के अधिकार, विकास का अधिकार, पर्यावरण सुरक्षा का अधिकार आदि इसी तरह के अधिकार है।

अपराधों से पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने की परम्परा भी हाल के वर्षों में शुरू हुई है जिससे क्षतिपूर्ति के अधिकार का भी स्वरूप सामने आया है। इसके अलावा बाढ़, भूकम्प आदि प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति को भी मानवाधिकार माने जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। वर्तमान संदर्भों में सूचना पाने का अधिकार भी अब मानवाधिकार में गिना जाने लगा है।

मानव अधिकारों का सार्थक प्रयोग

'मानव अधिकारों' पद का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 16 जनवरी, 1941 में कांग्रेस को संबोधित अपने प्रसिद्ध संदेश में किया था जिसमें उन्होंने चार मर्मभूत स्वतंत्रताओं पर आधारित विश्व की घोषणा की थी। इनको उन्होंने इस प्रकार सूचीबद्ध किया था- (1) वाक् स्वातंत्र्य, (2) धर्म स्वातंत्र्य, (3) गरीबी से मुक्ति और, (4) भय से स्वातंत्र्य। चार स्वातंत्र्य संदेश के अनुक्रम में राष्ट्रपति ने घोषित किया "स्वातंत्र्य से हर जगह मानवाधिकारों की सर्वोच्चता अभिप्रेत है। हमारा समर्थन उन्हीं को है, जो इन अधिकारों को पाने के लिए या बनाये रखने के लिये संघर्ष करते हैं।" 'मानवाधिकारों' पद का प्रयोग उसके बाद अटलांटिक चार्टर में किया गया था। तदनुरूप मानवाधिकारों पद का लिखित प्रयोग संयुक्त राष्ट्र चार्टर में पाया जाता है, जिसको द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् सैनफ्रांसिस्को में 25 जून, 1945 को अंगीकृत किया गया था। उसी वर्ष में अक्टूबर माह में बहुसंख्या में हस्ताक्षर कर्त्ताओं ने इसका अनुसमर्थन कर दिया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की उद्देशिका में घोषणा की गयी कि अन्य बातों के साथ-साथ

Scanned with CamScanner

संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य 'मूल मानवाधिकारों के प्रति निष्ठा को पुनः अभिपुष्ट करना ...' होगा। तदुपरांत संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के 'प्रयोजन' "... मूलवंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर विभेद किये बिना मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की अभिवृद्धि करने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग ..... प्राप्त करना" होंगे।

स्टार्क का मत है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर आबद्धकर लिखित नहीं था और उसमें आदर्श का कथन किया गया है, इसे बाद में अभिकरणों और अंगों का विकसित किया जाना है।

1. मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा–अनेक मानवाधिकारों के निर्माण करने में पहला ठोस कदम संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसम्बर 1948 में 'मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा' को अंगीकृत करके किया। आशय यह था कि इसका अुनसरण 'अन्तर्राष्ट्रीय बिल ऑफ राइट्स' (International Bill of Rights) द्वारा होगा, जो कि प्रसंविदा करने वाले पक्षकारों पर वैध रूप से आबद्धकर होगा।

2. 1966 की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाएँ–सार्वभौम घोषणा केवल आदर्शों के कथन के रूप में क्रियाशील रही, जिसका स्वरूप वैध रूप से आबद्धकर प्रसंविदा के रूप में नहीं था और इसके प्रवर्तन के लिए कोई तंत्र नहीं था। इस कमी को दूर करने का प्रयास संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसम्बर, 1966 में मानवाधिकारों के पालन के लिये दो प्रसंविदाएँ अंगीकृत करके किया–

(क) सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर संविदा,

(ख) आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति अधिकारों पर प्रसंविदा,

यद्यपि पूर्ववर्ती ने व्यक्ति के विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकारों को निर्मित किया, तथापि पश्चातवर्ती राज्यों को उन्हें विधान द्वारा कार्यान्वित करने के लिए संबोधित थी।

दोनों प्रसंविदाएँ दिसम्बर 1976 में प्रवृत्त हुईं, जब अपेक्षित संख्या में 35 सदस्य राज्यों ने उनका अनुसमर्थन कर दिया। 1981 के अंत तक 69 राज्यों ने उनका अनुसमर्थन कर दिया। ये प्रसंविदाएँ अनुसमर्थन करने वाले राज्यों पर वैध रूप से आबद्धकर हैं। इस बात पर अति खेद है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो कि मानवाधिकारों पर प्रसंविदाएं तैयार करने का आदर्श था तथा जिसने मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीयकरण में अत्यधिक रुचि ली थी, अभी तक अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं, 1966 का अनुसमर्थन नहीं किया है।

Scanned with CamScanner

ऐसे अनुसमर्थन का प्रभाव यह है कि अनुसमर्थन करने वाला राज्य प्रसंविदा को कार्यान्वित करने के लिए विधायी उपाय अपनायें जिसमें प्रसंविदा में वर्णित अधिकारों को प्रवर्तित किया जाये, यद्यपि कि स्वयं प्रसंविदा अनुसमर्थन करने वाले की घरेलू विधि या भाग नहीं है, तथापि सुसंगत विधान में समाविष्ट अधिकार घरेलू न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।

3. यूरोपीय अभिसमय–सार्वभौम घोषणा और 1966 की दोनों अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं के बीच में सार्वभौम घोषणा का सामूहिक कार्यान्वयन राज्यों के एक समूह द्वारा जो यूरोप की परिषद के सदस्य थे, मानवाधिकार के संरक्षण के लिए 1950 में मानवाधिकारों पर यूरोपीय अभिसमय को अंगीकार करके किया था। यह अभिसमय उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्धकर, जिन्होंने इसका अनुसमर्थन किया है। ऐसे अनुसमर्थन के बाद यह 1953 में प्रवृत्त हुआ।

यद्यपि यूरोप के बाहर के लोग यूरोपीय अभिसमय के कार्यकरण में प्रत्यक्ष रूप से हितबद्ध नहीं हैं, तथापि मानवाधिकार के सांविधानिक संरक्षण में हितबद्ध संपूर्ण विश्व के लिए इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि अभिसमय में 1959 में मानवाधिकार यूरोपीय न्यायालय की स्थापना की गई है। इस न्यायालय का कार्य अभिसमय के प्रवर्तन में होने वाले विवादों का निस्तारण करना है और इसके विनिश्चय वैध निर्णय के रूप में सुनाए जाते हैं। इस विनिश्चयों में अभिसमय के पाठ का निर्वचन अंतर्ग्रस्त रहता है और इस प्रकार वे राष्ट्रीय संविधान के निर्वचन में, जिनमें तदनुरूप मूल अधिकारों की प्रत्याभूति है, महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन करते हैं।

4. मानवाधिकार अमेरिकी अभिसमय, 1969–मानवाधिकारों के प्रवर्तन के लिये सामूहिक तंत्र का निर्माण लैटिन अमेरिका के राज्यों द्वारा किया गया है, जिन्होंने अमेरिकी राज्यों का संगठन बनाया है। संगठन ने 1969 में मानवाधिकार पर अभिसमय अंगीकार किया है, जिसकी बाध्यताएँ अभिसमय के पक्षकारों का आबद्धकर हैं। संगठन में अंतर-अमरीकी मानवाधिकार आयोग भी स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य मानवाधिकारों के सम्मान की अभिवृद्धि करना है। जिन्हें मानवाधिकार और कर्त्तव्य की अमेरिका में घोषणा, 1948 में घोषित किया गया था।

5. कामनवेल्थ के भीतर विकास–अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसंविदाओं के अंगीकरण को कामनवेल्थ के भीतर जो एक आभासी संगठन ह मानवाधिकार के संरक्षण के लिए प्रेरित किया। इस बात का अनुभव किया गया है कि कामनवेल्थ संगठन के आदर्शों की प्राप्ति तभी हो सकती है जब जातिभेद को सदस्य राष्ट्रों द्वारा पूर्ण रूप से उनके राज्य क्षेत्रों में तथा पारस्परिक सम्बन्धों में अवैध घोषित कर दिया जाय।

Scanned with CamScanner